# नवीनीकृत भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

दिनांक 13/04/2022

पत्रांक 32/ Camp / AE II

सेवा में,

श्री सतीश चन्द्र
प्रबन्धक के0डी0 पब्लिक स्कूल
ग्राम– आयराखेड़ा, राया– नीमगॉव मार्ग,
राया , मथुरा।

विषय– रिट याचिका संख्या 483/2004 अवनोश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.09 के अनुपालन में विद्यालय/स्कूल भवनों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्र दिनांक 11.04.2022।

महोदय,

उक्त सिंदर्भित पत्र दिनांक 11.02.2022 के कम में आप द्वारा चाही भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के कम में मॉगी गयी सूचना निम्नानुसार है:–

5. विद्यालय का नाम– के0डी0 पब्लिक स्कूल, आयराखेड़ा, राया मथुरा।
6. विद्यालय तक पहुॅच मार्ग– राया–नीमगॉव मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0–6 में प्रभावित ग्राम आयराखेड़ा में मार्ग के सहारे विद्यालय भवन स्थित है।

विद्यालय भवन का निरीक्षण दिनांक 12.04.2022 को करने पर पाया गया कि भवन भूतल पर निर्मित 16 कक्षों के साथ 04 बड़े कमरे(पुस्तकालय,कम्पयूटर लैब, परीक्षक सामिग्री एवं संगीत एवं खेल–कूद हेतु) के अतिरिक्त प्रधानाचार्य, कार्यालय,कैन्टीन, स्टॉफ, गार्ड एवं स्टोर हेतु एक–एक कमरा तथा प्रथम तल पर 11 कक्षों के अतिरिक्त 03 प्रयोगशाला एवं एक अतिरिक्त कमरा (41 कमरे) निर्मित है। साथ ही विद्यालय प्रांगण में 04 कमरों सहित आगन्तुकों हेतु एक अतिरिक्त भवन निर्मित है। विद्यालय भवन के मुख्य गेट के सहारे एक छोटा द्वार आकस्मिक द्वार के रूप में बना हुआ है तथा विद्यालय के वाहनों (बसें आदि) हेतु मुख्य मार्ग से विद्यालय भवन में आवागमन हेतु एक बड़ा अतिरिक्त द्वार बना हुआ है। विद्यालय भवन में सामान्य विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त आकस्मिक विद्युत व्यवस्था दो जनरेटर, दो इनवर्टर एवं सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित है। विद्यालय प्रांगण में वाहन खडे किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था है तथा बच्चों के खेल–कूद हेतु पर्याप्त मैदान उपलब्ध है। विद्यालय भवन टिकाऊ एवं मजबूत है तथा नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के मानकों एवं लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप है।

दिनांक– 12.04.2022।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
मथुरा।